कार्यालय –जिला विधिक सेवा प्राधिकार, गुमला

अधिसूचना सूचना – 03/2024

पारा विधिक स्वयं सेवक के चयन हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते है।

(यह किसी सरकारी पद पर नियुक्ति नहीं है)

जिला विधिक सेवा प्राधिकार, गुमला के द्वारा कुल 92 रिक्त पदों के विरुद्ध पारा विधिक स्वयं सेवक के चयन हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते है। आवेदन करने हेतु आवेदन का प्रपत्र, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, गुमला कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है या सिविल कोर्ट गुमला के आधिकारिक वेबासाईट–**https://gumla.dcourts.gov.in** से डाउनलोड किया जा सकता है।

<u>आवेदन करने हेतु निम्नलिखित निर्देशों का पालन करना आवश्यक है:–</u>

- आवेदन सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, गुमला–835207 के पता पर स्वीकार किए जायेंगे।
- आवेदन सूचना की तिथि से लेकर दिनांक 12/09/2024 तक ही स्वीकार किए जायेंगे।

<u>कौन आवेदन कर सकते है</u>– जिला गुमला एवं इसके अनुमंडल अंतर्गत ऐसे व्यक्ति (महिला/पुरुष/अन्य) जो बिना किसी आर्थिक लाभ के समाज के कमजोर वर्गों एवं वंचितों के उत्थान में रुचि रखते है या उनके लिए स्वेच्छिक सेवा करना चाहते है, जैसे सेवानिवृत शिक्षक सहित सेवानिवृत सरकारी कर्मचारी/ वरिष्ठ नागरिक/सामाजिक कार्य विषय के स्नातकोत्तर के छात्र एवं शिक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, डॉक्टर, छात्र और विधि के छात्र (जिनका अधिवक्ता के रूप में नामांकन नहीं है), गैर–राजनीतिक सेवा उन्मुख गैर–सरकारी संगठन एवं क्लब के सदस्य स्वयं सहायता समूह मैत्री समूह जीविका आदि के सदस्य एवं अन्य व्यक्ति जो अपनी स्वेच्छा से दूसरो की सेवा में रुचि रखते हो तथा जिन्हें विधिक सेवा प्राधिकार पीएलवी के रूप में पहचाने जाने के लिए उपयुक्त समझे।

पारा विधिक स्वयं सेवक के कार्य :– पारा विधिक स्वयं सेवको को अपने क्षेत्र में विधिक जागरूकता, विधिक सहायता के लिए पीड़ितों एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार के बीच सेतु का कार्य करना प्राधिकार के प्रबंध कार्यालय एवं विधिक सहायता केंद्र में विधिक सेवा का कार्य या अन्य कोई कार्य करना जो जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा निर्देशित किया जाये।

पदों की संख्या :– जिला विधिक सेवा प्राधिकार, गुमला के द्वारा कुल 92 रिक्त पदों के विरुद्ध पारा विधिक स्वयं सेवक के चयन हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते है। इस संबंध में अंतिम निर्णय झारखण्ड विधिक सेवा प्राधिकार, रांची का होगा। गुमला जिला एवं इसके अनुमंडल के अंतर्गत पारा विधिक स्वयं सेवको का चयन क्षेत्रीय आधार पर किया जाएगा।

आरक्षण :–क्योंकि पारा विधिक स्वयं को स्वेच्छा से बिना किसी लाभ के कार्य करना है तथा यह कोई सरकारी पद पर नियुक्ति नहीं है। अतः पदों पर प्रतिनियुक्ति में कोइ आरक्षण नहीं है। स्कीम के अनुरूप सभी वर्णों (महिला, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग आदि) को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाएगा।

उम्र सीमा :– न्यूनतम 18 वर्ष।

शैक्षणिक योग्यता :– मैट्रिक अथवा समकक्ष।

मानदेय :– पी० एल० वी० के कार्य पूर्णतः अस्थायी है एवं इसके लिए कोई वेतन का प्रावधान नहीं है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के दिशा–निर्देश के आलोक में वर्तमान में प्रत्येक कार्य दिवस हेतु 700/–(सात सौ रूपया) प्रतिदिन का मानदेय निर्धारित है जो प्रत्येक कार्य दिवस हेतु होगा तथा यह मानदेय केवल उन विशेष दिनों के लिए देय होगा, जिस दिन विधिक सेवा प्राधिकार उन्हें विशेष कार्य हेतु निर्देशित करती हैं या स्वयं सेवक अपने क्षेत्र से किसी व्यक्ति को विधिक सहायता प्रदान करता है या अपने क्षेत्र में विधिक जागरूकता शिविरों के आयोजन में सक्रिय भागीदारी निभाता है।

पात्रता / योग्यता :—1. आवेदक भारत का नागरिक हो 2. आवेदक गुमला जिला का निवासी हो 3. शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ हो 4. अच्छा चरित्र का हो 5. समाज सेवा में रुचि रखता हो 6. किसी अपराधिक मामले का आरोपी / दोषी सिद्ध न हो।

आवेदन विहित प्रपत्र में आवेदन पूरी तरह भरकर तथा अपनी शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताओं का प्रमाण पत्र लगाकर साथ ही स्वपता लिफाफा 45 रु0 का डाक टिकट चिपकाकर अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में पंजीकृत डाक से या जिला विधिक सेवा प्राधिकार, गुमला के कार्यालय में हाथों हाथ दिनांक 12 / 09 / 2024 के समय 5:00 बजे अपराह्न तक जमा कर सकते हैं। आवेदन भेजने या जमा करने की अंतिम तिथि 12 / 09 / 2024 तक है। अंतिम तिथि दिनांक 12 / 09 / 2024 के बाद के आवदेनों पर विचार नहीं किया जाएगा एवं अपूर्ण / अधूरे आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया जाएगा। आवेदन भेजने का पताः **सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार, गुमला पिन न0—835207।**

पारा विधिक स्वयं सेवको का चयन साक्षात्कार के माध्यम से चयन समिति द्वारा किया जाएगा एवं चयन के संबंध में अंतिम निर्णय, चयन समिति का होगा और सभी के लिए बाध्यकारी होगा।

Gupta 05/09/2024

सचिव,

जिला विधिक सेवा प्राधिकार, गुमला।

पारा विधिक स्वयं सेवकों के चयन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित है

(पारा विधिक स्वयं सेवक में चयन नियुक्ति नहीं है। आप किसी स्थायी/अस्थायी/अनुबंध पर नियुक्त कर्मचारी नहीं है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार में सहयोग देने हेतु स्वयं सेवक है।)

स्व अभिप्रमाणित फोटो

1) नाम :

2) पिता का नाम :

3) वर्तमान पता :

4) स्थायी पता (मोबाइल नंबर सहित) :

5) जन्म तिथि :

6) शैक्षणिक योग्यता :

(शैक्षणिक से संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न करें तथा
यदि कोई कार्य अनुभव हो तो उसका भी प्रमाण पत्र संलग्न करें)

7) आवेदक किस श्रेणी से है यथा (सामान्य/अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/महिला)–

(जाति संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न करें)

8) आवेदक निम्न में से किस श्रेणी का है–

i) शिक्षक (कार्यरत/सेवानिवृत)

ii) सेवानिवृत सरकारी कर्मचारी

iii) सामाजिक विज्ञान स्नातकोत्तर शिक्षक

iv) आंगनवारी सेविका

v) चिकित्सक

vi) छात्र/विधि अध्यनरत छात्र (जब तक कि उसका अधिवक्ता के रूप में पंजीयन नहीं हुआ हो)

vii) किसी गैर राजनितिक संगठन NGO/उसका सदस्य/सामाजिक कार्य से जुडा

viii) महिला स्वयंसेवक समूह एवं अन्य विशेष समुदाय की महिला

9) अन्य

10) आवेदक के विरुद्ध कोई अपराधिक मुकदमा किसी न्यायालय में लंबित है?

(यदि मुकदमा लंबित है तो न्यायालय का नाम तथा अपराध की धाराएं आवेदक जमानत पर है या नहीं)

11) आवेदक को किसी न्यायालय से दोष सिद्ध किया गया है / आवेदक किसी मामले में फरार चल रहा हो

तिथि :

स्थान :

आवेदक का हस्ताक्षर

जिला विधिक सेवा प्राधिकार, गुमला

पारा विधिक स्वयं सेवक के चयन हेतु
साक्षात्कार पत्र

(यह किसी सरकारी पद पर नियुक्ति नहीं है)

क्रमांक.......................................(कार्यालय उपयोग के लिए)

स्व अभिप्रमाणित फोटो

(आवेदक द्वारा भरा जाएगा)

1. आवेदक का नाम : ....
2. पिता / पति का नाम : ....
3. जन्म तिथि : ....
4. स्थायी पता :

   ....

   ....

5. पत्राचार पता (मोबाईल न॰ सहित) :

   ....

   ....

जिला ....राज्य.......................पिन कोड ....मोबाईल न॰...................

आवेदक का हस्ताक्षर

केवल कार्यालय उपयोग के लिए

साक्षात्कार की तिथि .... समय .... स्थानः व्यवहार न्यायालय, गुमला।

सचिव

जिला विधिक सेवा प्राधिकार, गुमला।